



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 13, 2009/श्रावण 22, 1931

No. 452]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2009/SRAVANA 22, 1931

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 574(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

“द्वितीय अनुसूची

(धारा 9 देखिए)

मद संख्या 1 से 9, 11 से 37, 39 और 45 और 47 से 51 पर खनिजों की बाबत रॉयल्टी की दरें

1. एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट
 - (i) एपेटाइट विक्रय मूल्य का पांच प्रतिशत मूल्यानुसार
 - (ii) रॉक फॉस्फेट
 - (क) 25 प्रतिशत पी₂ओ₅ से ऊपर विक्रय मूल्य का ग्यारह प्रतिशत मूल्यानुसार
 - (ख) 25 प्रतिशत पी₂ओ₅ तक विक्रय मूल्य का छह प्रतिशत मूल्यानुसार
2. ऐस्बेस्टास
 - (क) क्रिसोटोइल आठ सौ और अस्सी रुपए प्रति टन
 - (ख) ऐम्पिबोल विक्रय मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार
3. बैराइट्स विक्रय मूल्य का साढ़े पांच प्रतिशत मूल्यानुसार
4. बॉक्साइट और लैटराइट
 - (क) एल्युमिना और एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में प्रयोग के लिए प्रेषित किए गए उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट एल्युमिनियम धातु पर प्रमार्य लंदन धातु विनियम एल्युमिनियम धातु मूल्य का 0.50 प्रतिशत ।
 - (ख) एल्युमिना और एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण के प्रयोग से भिन्न प्रयोग के लिए तथा निर्यात के लिए प्रेषित किए गए माल के लिए विक्रय मूल्य का पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
5. ब्राउन इल्मेनाइट (ल्यूकायक्सीन) इल्मेनाइट, रूटाइल और जिरकान विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत मूल्यानुसार
6. कैडनियम विक्रय मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार
7. कैल्साइट विक्रय मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार

8. चीनी मिट्टी/काओलिन (जिसके अंतर्गत बालक्ले, श्वेत शैल और श्वेत क्ले भी है)
(क) अपरिष्कृत विक्रय मूल्य का आठ प्रतिशत मूल्यानुसार ।
(ख) प्रसंस्कृत (जिसके अंतर्गत धुली हुई भी है) विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
9. क्रोमाइट विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
10. कोयला (लिग्नाइट सहित) *
11. कोलम्बाइट-टैंटालाइट विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
12. ताम्र उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट ताम्र धातु पर प्रचार्य लंदन धातु विनिमय ताम्र धातु मूल्य का 4.2 प्रतिशत ।
13. हीरा विक्रय मूल्य का 11.5 प्रतिशत मूल्यानुसार ।
14. डोलोमाइट तिरसठ रुपए प्रति टन ।
15. फैल्सपार विक्रय मूल्य का बारह प्रतिशत मूल्यानुसार ।
16. फायरक्ले (जिसके अंतर्गत प्लास्टिक, पाइप, लिथोमार्गिक और प्राकृतिक पोजोलोनिक क्ले भी है) विक्रय मूल्य का बारह प्रतिशत मूल्यानुसार ।
17. फ्लूआरेस्पर (जिसे फ्लूओराइट भी कहा जाता है) विक्रय मूल्य का साठे छह प्रतिशत मूल्यानुसार ।
18. गार्नेट
(क) अपघर्षक विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत मूल्यानुसार ।
(ख) रत्न (जेम) विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
19. स्वर्ण
(क) प्राथमिक उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट स्वर्ण धातु पर प्रचार्य लंदन बुलियन बाजार संघ मूल्य (जिसे सामान्यतः 'लंदन मूल्य' कहा जाता है) का दो प्रतिशत।
(ख) उपोत्पाद स्वर्ण वास्तविक रूप से उत्पादित उपोत्पाद स्वर्ण धातु पर प्रचार्य लंदन बुलियन बाजार संघ मूल्य (जिसे सामान्यतः 'लंदन मूल्य' कहा जाता है) का 3.3 प्रतिशत।
20. ग्रेफाइट
(क) 40 प्रतिशत या उससे अधिक विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत मूल्यानुसार।
नियत कार्बन सहित
(ख) 40 प्रतिशत से कम नियत विक्रय मूल्य का बारह प्रतिशत मूल्यानुसार।
कार्बन सहित
21. जिप्सम विक्रय मूल्य का बीस प्रतिशत मूल्यानुसार।
22. लोह अयस्क : लम्पस फाइन विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार।
और सभी ग्रेड के सांद्र
23. सीसा
उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट सीसा धातु पर प्रचार्य लंदन धातु विनिमय सीसा धातु मूल्य का सात प्रतिशत।
उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट सीसा धातु पर प्रचार्य लंदन धातु विनिमय सीसा धातु मूल्य का 12.7 प्रतिशत।
24. चूना पत्थर
(क) एल. डी. ग्रेड (जिसमें बहतर रुपए प्रति टन
सिलिका की मात्रा
डेढ़ प्रतिशत से कम है)
(ख) अन्य तिरसठ रुपए प्रति टन ।
25. चूना कंकर तिरसठ रुपए प्रति टन ।
26. लाइमशैल तिरसठ रुपए प्रति टन ।

27. मैग्नेसाइट विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत मूल्यानुसार ।
28. मैग्नीज अयस्क
(क) सभी ग्रेडों का अयस्क विक्रय मूल्य का 4.2 प्रतिशत मूल्यानुसार ।
(ख) सांद्रण विक्रय मूल्य का 1.4 प्रतिशत मूल्यानुसार ।
29. अपरिष्कृत अन्नक, अपशिष्ट अन्नक और कतरन अन्नक विक्रय मूल्य का चार प्रतिशत मूल्यानुसार ।
30. मोनेजाइट एक सौ पच्चीस रुपए प्रति टन ।
31. निकल उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट निकल धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय निकल धातु मूल्य का 0.12 प्रतिशत ।
32. ओकर बीस रुपए प्रति टन ।
33. पाइराइट विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत मूल्यानुसार ।
34. पाइरोफिलाइट विक्रय मूल्य का बीस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
35. क्वार्टज विक्रय मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार ।
36. रूबी विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
37. सिलिका सैंड, मोल्डिंग सैंड और क्वार्टजाइट विक्रय मूल्य का आठ प्रतिशत मूल्यानुसार।
38. भराई हेतु बालू * *
39. सैलेनाइट विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
40. सिलीमेनाइट विक्रय मूल्य का द्वाइ प्रतिशत मूल्यानुसार।
41. चांदी
(क) उपोत्पाद वास्तविक रूप से उत्पादित चांदी धातु उपोत्पाद पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय मूल्य का सात प्रतिशत।
(ख) प्राथमिक चांदी उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट चांदी धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय चांदी धातु मूल्य का पांच प्रतिशत ।
42. स्लेट पैतालीस रुपए प्रति टन ।
43. टाल्क, स्टीटाइट और सोपस्टोन विक्रय मूल्य का अठारह प्रतिशत मूल्यानुसार।
44. टिन उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट टिन धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय टिन धातु मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत।
45. टंगस्टन प्रति टन डब्ल्यूओ₃ के प्रति प्रतिशत अयस्क पर बीस रुपए प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर ।
46. यूरेनियम * * *
47. वैंडियम विक्रय मूल्य का बीस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
48. वर्मीक्यूलाइट विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत मूल्यानुसार ।
49. वाल्लास्टोनाइट विक्रय मूल्य का बारह प्रतिशत मूल्यानुसार ।
50. जस्ता उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट जस्ता धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय जस्ता धातु मूल्य का आठ प्रतिशत मूल्यानुसार।
उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट जस्ता धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय जस्ता धातु मूल्य का 8.4 प्रतिशत मूल्यानुसार।
51. सभी अन्य खनिज जो इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट नहीं है। [अगोट, क्ले (अन्य), चाक, कोरण्डम, डायस्पोर, डुनाइट, फेलसाइट, फुस्काइट, कोनाइट, क्वार्टजाइट, जस्पर, पेरेलाइट, रॉक साल्ट, शेल पाइरोक्सेनाइट आदि]
- * कोयला (जिसमें लिग्नाइट भी सम्मिलित है), से संबंधित मद सं. 10 की बाबत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 522(अ), तारीख 1 अगस्त, 2007 द्वारा यथापुनरीक्षित स्वामिस्व की दरें तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि कोयला मंत्रालय द्वारा पृथक् अधिसूचना के माध्यम से पुनरीक्षित नहीं की जाती।

- ** भराई हेतु बालू से संबंधित मद सं. 38 की बाबत, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 214(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1997 द्वारा यथा संशोधित स्वामित्व की दरें तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि कोयला विभाग द्वारा एक पृष्क अधिसूचना के माध्यम से पुनरीक्षित नहीं की जाती।
- *** यूरोनियम से संबंधित मद सं. 46 के संबंध में, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 96(अ), तारीख 13 फरवरी, 2009 द्वारा यथा संशोधित रायल्टी की दरें तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक संशोधित नहीं की जाती।

टिप्पण : भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित वाद का परिणाम आने तक मद संख्या 10 के सामने विनिर्दिष्ट खनिज को छोड़कर अन्य खनिजों की बाबत पश्चिम बंगाल राज्य के लिए स्वामित्व दरें वही रहेंगी जो भारत सरकार के इत्याद और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 458(अ), तारीख 5 मई, 1987 में विनिर्दिष्ट हैं। "

[फा. सं. 3/1/2005-खान-6]

अजिता बाजपेयी पांडे, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची को निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा पूर्व में संशोधित किया गया था।

- | | |
|--|--|
| 1. सं. सा.का.नि. 175(अ), तारीख 31 मार्च, 1975 | 12. सं. सा.का.नि. 100(अ), तारीख 17 फरवरी, 1992 |
| 2. सं. सा.का.नि. 407(अ), तारीख 14 जुलाई, 1975 | 13. सं. सा.का.नि. 748(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 1994 |
| 3. सं. सा.का.नि. 584(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 1975 | 14. सं. सा.का.नि. 27(अ), तारीख 13 जनवरी, 1995 |
| 4. सं. सा.का.नि. 321(अ), तारीख 12 जून, 1978 | 15. सं. सा.का.नि. 214(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1997 |
| 5. सं. सा.का.नि. 2(अ), तारीख 1 जनवरी, 1979 | 16. सं. सा.का.नि. 713(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2000 |
| 6. सं. सा.का.नि. 67(अ), तारीख 13 फरवरी, 1979 | 17. सं. सा.का.नि. 187(अ), तारीख 15 मार्च, 2001 |
| 7. सं. सा.का.नि. 63(अ), तारीख 12 फरवरी, 1981 | 18. सं. सा.का.नि. 527(अ), तारीख 16 अगस्त, 2002 |
| 8. सं. सा.का.नि. 449(अ), तारीख 23 जुलाई, 1981 | 19. सं. सा.का.नि. 677(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2004 |
| 9. सं. सा.का.नि. 458(अ), तारीख 5 मई, 1987 | 20. सं. सा.का.नि. 522(अ), तारीख 1 अगस्त, 2007 |
| 10. सं. सा.का.नि. 856(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 1987 | 21. सं. सा.का.नि. 96(अ), तारीख 13 फरवरी, 2009 |
| 11. सं. सा.का.नि. 516(अ), तारीख 1 अगस्त, 1991 | |

**MINISTRY OF MINES
NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2009

G.S.R. 574(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Second Schedule to the said Act, namely :—

In the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, for the Second Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

**"SECOND SCHEDULE
(See Section 9)**

RATES OF ROYALTY IN RESPECT OF MINERALS AT ITEM 1 TO 9, 11 TO 37, 39 TO 45 AND 47 TO 51.

1. Apatite and Rock Phosphate :

- | | |
|---|---|
| (i) Apatite | Five per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| (ii) Rock Phosphate: | |
| (a) above 25 per cent P ₂ O ₅ | Eleven per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| (b) upto 25 per cent P ₂ O ₅ | Six per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |

2. Asbestos :

- | | |
|----------------|---|
| (a) Chrysotile | Eight hundred and eighty rupees per tonne. |
| (b) Amphibole | Fifteen per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis |

3. Barytes

Five and half per cent of sale price on *ad valorem* basis.

4. Bauxite and Laterite

- | | |
|-----|--|
| (a) | Zero point five zero per cent of London Metal Exchange Aluminium metal price chargeable on the contained aluminium metal in ore produced for those despatched for use in alumina and aluminium metal extraction. |
| (b) | Twenty five per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis for those despatched for use other than alumina and aluminium metal extraction and for export. |

| | |
|--|---|
| 5. Brown Ilmenite (Leucoxene), Ilmenite, Rutile and Zircon | Two per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 6. Cadmium | Fifteen per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 7. Calcite | Fifteen per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 8. China clay/Kaolin (including ball clay, white shale and white clay) : | |
| (a) Crude | Eight per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| (b) Processed (including washed) | Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 9. Chromite | Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 10. Coal (including Lignite) . | * |
| 11. Columbite-tantalite | Ten per cent. of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 12. Copper | Four point two per cent of London Metal Exchange Copper metal price chargeable on the contained copper metal in ore produced. |
| 13. Diamond | Eleven point five per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 14. Dolomite | Sixty three rupees per tonne. |
| 15. Felspar | Twelve per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 16. Fire Clay (including plastic, pipe, lithomargic and natural pozzolanic clay) | Twelve per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 17. Fluorspar (also called fluorite) | Six point five per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 18. Garnet : | |
| (a) Abrasive | Three per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| (b) Gem | Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 19. Gold : | |
| (a) Primary | Two per cent of London Bullion Market Association Price (commonly referred to as "London Price") chargeable on the contained gold metal in ore produced. |
| (b) By-product gold | Three point three per cent of London Bullion Market Association Price (commonly referred to as "London Price") chargeable on the by-product gold metal actually produced. |
| 20. Graphite: | |
| (a) with 40 per cent. or more fixed carbon | Two per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| (b) with less than 40 per cent fixed carbon. | Twelve per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 21. Gypsum | Twenty per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 22. Iron ore: Lumps Fines and concentrates all grades | Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 23. Lead | Seven per cent of London Metal Exchange lead metal price chargeable on the contained lead metal in ore produced. Twelve point seven per cent of London Metal Exchange lead metal price chargeable on the contained lead metal in concentrate produced. |
| 24. Limestone : | |
| (a) L.D. Grade (less than one and half per cent silica content) | Seventy two rupees per tonne. |
| (b) Others | Sixty three rupees per tonne. |
| 25. Lime Kankar | Sixty three rupees per tonne. |
| 26. Limeshell | Sixty three rupees per tonne. |

| | |
|---|---|
| 27. Magnesite | Three per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 28. Manganese Ore: | |
| (a) Ore of all grades | Four point two per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| (b) Concent rates | One point four per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 29. Crude Mica, Waste Mica and Scrap Mica | Four per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 30. Monazite | One hundred and twenty five rupees per tonne. |
| 31. Nickel | Zero point one two per cent of London Metal Exchange nickel metal price chargeable on contained nickel metal in ore produced. |
| 32. Ochre | Twenty rupees per tonne. |
| 33. Pyrites | Two per cent. of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 34. Pyrophyllite | Twenty per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis |
| 35. Quartz | Fifteen per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 36. Ruby | Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 37. Silica sand, Moulding sand and Quartzite | Eight per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 38. Sand for stowing | ** |
| 39. Selenite | Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 40. Sillimanite | Two and half per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 41. Silver: | |
| (a) By-product | Seven per cent of London Metal Exchange Price chargeable on by-product silver metal actually produced. |
| (b) Primary silver | Five per cent of London Metal Exchange silver metal price chargeable on the contained silver metal in ore produced. |
| 42. Slate | Forty five rupees per tonne. |
| 43. Talc, Steatite and Soapstone | Eighteen per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 44. Tin | Seven point five per cent of London Metal Exchange tin metal price chargeable on the contained tin metal in ore produced. |
| 45. Tungsten | Twenty rupees per unit per cent of contained WO_3 per tonne of ore and on pro-rata basis. |
| 46. Uranium | *** |
| 47. Vanadium | Twenty per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 48. Vermiculite | Three per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 49. Wollastonite | Twelve per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |
| 50. Zinc | Eight per cent of London Metal Exchange zinc metal price on <i>ad valorem</i> basis chargeable on contained zinc metal in ore produced. Eight point four per cent of London Metal Exchange zinc metal price on <i>ad valorem</i> basis chargeable on contained zinc metal in concentrate produced. |
| 51. All other minerals not here-in-before specified [Agate, Clay (Others), Chalk, Corundum, Diaspore, Dunite, Felsite, Fuschite, Kyanite, Quartzite, Jasper, Perlite, Rock Salt, Shale, Pyroxenite, etc.] | Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis. |

* Rates of royalty in respect of item No. 10 relating to Coal (including Lignite) as revised *vide* notification number G.S.R. 522 (E), dated the 1st August, 2007, of the Government of India in the Ministry of Coal shall remain in force until revised through a separate notification by the Ministry of Coal.

** Rates of royalty in respect of item No.38 relating to Sand for stowing as revised *vide* notification number G.S.R. 214(E), dated the 11th April, 1997, will remain in force until revised through a separate notification by the Department of Coal.

*** Rates of royalty in respect of item No.46 relating to Uranium as revised *vide* notification number G.S.R. 96(E), dated the 13th February, 2009, will remain in force until revised."

Note: The rates of royalty for the State of West Bengal in respect of the minerals except the mineral specified against item No.10 shall remain the same as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) number G.S.R. 458 (E), dated the 5th May, 1987 till the outcome of litigation pending in the Supreme Court of India."

[F. No. 3/1/2005-MVI]

AJITA BAJPAI PANDE, Jt. Secy.

Note :—The Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 was amended earlier vide notification numbers:

- | | |
|--|--|
| 1. No. G.S.R. 175(E), dated the 31st March, 1975. | 12. No. G.S.R. 100(E), dated the 17th February, 1992. |
| 2. No. G.S.R. 407(E), dated the 14th July, 1975. | 13. No. G.S.R. 748(E), dated the 11th October, 1994. |
| 3. No. G.S.R. 584(E), dated the 13th December, 1975. | 14. No. G.S.R. 27(E), dated the 13th January, 1995. |
| 4. No. G.S.R. 321(E), dated the 12th June, 1978. | 15. No. G.S.R. 214 (E), dated the 11th April, 1997. |
| 5. No. G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 1979. | 16. No. G.S.R. 713(E), dated the 12th September, 2000. |
| 6. No. G.S.R. 67(E), dated the 13th February, 1979. | 17. No. G.S.R. 187(E), dated the 15th March, 2001. |
| 7. No. G.S.R. 63(E), dated the 12th February, 1981. | 18. No. G.S.R. 572(E), dated the 16th August, 2002. |
| 8. No. G.S.R. 449(E), dated the 23rd July, 1981. | 19. No. G.S.R. 677(E), dated the 14th October, 2004. |
| 9. No. G.S.R. 458(E), dated the 5th May, 1987. | 20. No. G.S.R. 522(E), dated the 1st August, 2007. |
| 10. No. G.S.R. 856(E), dated the 14th October, 1987. | 21. No. G.S.R. 96(E), dated the 13th February, 2009. |
| 11. No. G.S.R. 516(E), dated the 1st August, 1991. | |

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 575(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की तृतीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

‘तृतीय अनुसूची

(धारा 9क देखिए)

अनिवार्य भाटक की दरें

1. कम मूल्य के खनिजों हेतु दिए गए पट्टों पर लागू अनिवार्य भाटक की दरें निम्नानुसार हैं :—

| प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर अनिवार्य भाटक की दरें, रुपयों में | | |
|---|--------------------|------------------|
| पट्टे के दूसरे वर्ष से | तीसरे और चौथे वर्ष | पांच वर्ष से आगे |
| 200 | 500 | 1000 |

2. मध्यम मूल्य के खनिज(जों) के लिए स्वीकृत पट्टे के मामले में पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट दर का दो गुना।
3. उच्च मूल्य के खनिज(जों) के लिए स्वीकृत पट्टे के मामले में पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट दरों का तिगुना।
4. बहुमूल्य धातु और पत्थरों (रत्नों) के लिए स्वीकृत पट्टे के मामले में पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट दरों का चौगुना।

टिप्पण :

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

- (क) “बहुमूल्य धातु और पत्थरों” से स्वर्ण, चांदी, हीरा, माणिक्य, सैफायर और इमरैल्ड अभिप्रेत हैं।
(ख) “उच्च मूल्य खनिज” से अर्ध कीमती पत्थर (रत्न) (अगेट, जेम, गारनेट) कोरुण्डम, तांबा, सीसा, जस्ता, ऐस्बेस्टॉस (क्रोसोटाइल किस्म) और अन्नक अभिप्रेत हैं।
(ग) “मध्यम मूल्य खनिज” से क्रोमाइट, मैग्नीज, अयस्क, क्यानाइट, सिलिमैनाइट, वर्मीकुलाइट, मैग्नेसाइट, वाल्ट्वास्टेनाइट, पेरलाइट, डायस्पोर, ऐपेटाइट, रॉक फास्फेट, फ्लोराइट (फ्लुओरोस्फार) और बेराइट्स अभिप्रेत हैं।
(घ) “कम मूल्य खनिज” से बहुमूल्य धातुओं और पत्थर (रत्न), उच्च मूल्य खनिजों और मध्यम मूल्य खनिजों से भिन्न खनिज अभिप्रेत हैं।

2. भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित वाद के परिणाम तक पश्चिमी बंगाल राज्य के लिए अनिर्धार्य भाटक की दरें वहीं रहेंगी जो भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 458(अ), तारीख 5 मई, 1987 में विनिर्दिष्ट हैं।"

[फा.सं. 3/1/2005-खान-6]

अजिता बाजपेयी पांडे, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की तृतीय अनुसूची को निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा पूर्व में संशोधित किया गया था :

- | | |
|---|---|
| 1. सं. सा.का.नि. 458(अ), तारीख 5 मई, 1987 | 4. सं. सा.का.नि. 714(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2000 |
| 2. सं. सा.का.नि. 856(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 1987 | 5. सं. सा.का.नि. 678(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2004 |
| 3. सं. सा.का.नि. 214(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1997 | |

NOTIFICATION

Delhi, the 13th August, 2009

G.S.R. 575(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes, the following amendments to the Third Schedule to the said Act, namely :—

In the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, for the Third Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:

"THIRD SCHEDULE

(See Section 9A)

RATES OF DEAD RENT

1. Rates of dead rent applicable to the leases granted for low value minerals are as under :

Rates of dead rent in rupees per hectare per annum

| From second year of lease | Third year and fourth year | Fifth year onwards |
|---|----------------------------|--------------------|
| 200 | 300 | 1000 |
| 2. Two times the rate specified in paragraph 1 in case of lease granted for medium value mineral(s). | | |
| 3. Three times the rates specified in paragraph 1 in case of lease granted for high value mineral(s) | | |
| 4. Four times the rates specified in paragraph 1 in case of lease granted for precious metals and stones. | | |

Note :

- For the purpose of this notification,—
 - "precious metals and stones" means gold, silver, diamond, ruby, sapphire and emerald;
 - "high value minerals" means semi-precious stones (agate, gem garnet), corundum, copper, lead, zinc, asbestos (chrysotile variety) and mica;
 - "medium value minerals" means chromite, manganese ore, kyanite, sillimanite, vermiculite, magnesite, wollastonite, perlite, diaspore, apatite and rock phosphate, fluorite (fluorspar) and barytes ;
 - "low value minerals" means minerals other than precious metals and stones, high value minerals and medium value minerals.
- The rates of dead rent for the State of West Bengal shall remain the same as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) number G.S.R. 458(E), dated the 5th May, 1987 till the outcome of pending litigation in the Supreme Court of India."

[F. No. 3/1/2005-MVI]

AJITA BAJPAI PANDE, Jt. Secy.

Note :—Third Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 was amended earlier, vide notification numbers:

- | | |
|--|--|
| 1. No. G.S.R. 458(E), dated the 5th May, 1987. | 4. No. G.S.R 714(E), dated the 12th September, 2000. |
| 2. No. G.S.R 856(E), dated the 14th October, 1987. | 5. No. G.S.R 678(E), dated the 14th October, 2004. |
| 3. No. G.S.R 214(E), dated the 11th April, 1997. | |